



संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Med. Sciences,
Raibareli Road, Lucknow- 226 014 (U.P.), INDIA

Phones: 0522-2668004-8,2668700-800-900 Fax: 91-0522- 2668017,2668078

पत्रांक सं० पी०जी०आई० / आर०एस०डी०सं०2151 / 18 / अधि० 1617 / 2025 दिनांक 06/05/2025

कार्यालय आदेश

मानकीकरण संबंधी शासनादेश दिनांक 5-09-2022 तथा शासनादेश दिनांक 19-12-2022 के माध्यम से डाईटीशियन एवं मेडिकल रिकार्ड संवर्ग के पूर्व प्रचलित पोषक पद (Entry level post) को समाप्त कर दिये जाने के परिणामस्वरूप इन पदधारकों के पदोन्नति के अवसर बाधित हो जाने के कारण प्रभावित कर्मचारियों द्वारा प्रत्यावेदन प्रेषित किए जाने पर उनके प्रत्यावेदनों को दृष्टिगत रखते हुए एजेण्डा शासी निकाय की 98वीं बैठक दिनांक 14-08-2023 के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर विचारोपरान्त शासी निकाय द्वारा अधोलिखित निर्णय पारित किया गया:-

The Governing Body approved the qualifications, for direct entry to the Dietician Cadre, Medical Record Cadre and allowed for promotions in the respective cadres which are designated to be filled with direct recruitment after abolishing the entry level posts owing to Mnakikaran. The Governing Body directed that the incumbents who are affected, be appropriated to the entry level positions subject to fulfilling the necessary qualifications academically as well as experience for the subject post. This is subject to availability of positions and will applicable to all affected incumbents in the order of seniority.

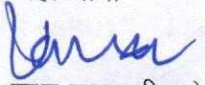
शासी निकाय दिनांक 14-08-2023 द्वारा लिए गये उक्त निर्णय के अनुपालन में संस्थान द्वारा पत्र सं०पी०जी०आई० / आर०एस०डी०सं०3688 / 19 / मु०चि०अ० / 3663 / 2024 दिनांक 23-09-2024 तथा पत्र सं०पी०जी०आई० / आर०एस०डी०सं०3688 / 19 / मु०चि०अ० / 4303 / 2024 दिनांक 02-12-2024 के माध्यम से एक प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन को डाईटीशियन एवं मेडिकल रिकार्ड संवर्ग के पद को संविलीन किये जाने हेतु आदेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त के क्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा पत्र सं० 1-948027 / 2025 / 71-2099 / 132 / 2023 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 दि० 29-04-2025 के माध्यम से निम्नलिखित आदेश/निदेश निर्गत किए गये हैं:-

डाईटीशियन एवं मेडिकल रिकार्ड संवर्ग के पद को संविलीन किये जाने के संबंध में मुझे यह कहने करने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश दिनांक 05-09-2022 तथा तदक्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 19-12-2022 में विहित व्यवस्था के आलोक में प्रकरण में स्वस्तर से नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अतः शासनादेश दिनांक 05-09-2022 तथा शासनादेश दिनांक 19-12-2022 में विहित व्यवस्था के आलोक में चिकित्सा शिक्षा विभाग उ०प्र० शासन द्वारा आदेश दिनांक 29-04-2025 के माध्यम से प्रदत्त निर्देश/आदेश के क्रम में शासी निकाय दिनांक 14-08-2023 द्वारा लिये गये निर्णय की तिथि अर्थात् दिनांक 14-08-2023 से निम्नलिखित कर्मियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद/वेतनमान में संविलीन किये जाने के आदेश पारित किए जाते हैं।

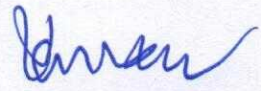
क्र०सं०	नाम/पदनाम/वेतनमान (वर्तमान)	संविलीन के उपरान्त पदनाम	
1	2	3	4
1-	Shilpi Tripathi, Assistant Dietician Pay Level-6	Dietician	Pay Level-7
2-	Saurabh Vibhushan, Dietician Pay Level-6	Dietician	Pay Level-7
3-	Neelu, Dietician Pay Level-6	Dietician	Pay Level-7
4-	Sazia Asif, Medical Record Technician Pay Level-4	JMRO	Pay Level-5

यह आदेश संविलीन (Merger) के फलस्वरूप पुर्नपदनामन है, जो पदोन्नति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा।


(प्र० राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक।

प्रतिलिपि:-

- 1- संबंधित कर्मचारीगण।
- 2-अपर निदेशक।
- 3- वित्त अधिकारी।
- 4- प्रभारी नियुक्ति प्रकोष्ठ।
- 5- विभागाध्यक्ष-बी०एच०आई० को संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- संबंधित कर्मचारियों को व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 7- संबंधित पत्रावली।


(प्र० राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक।